OFFICE OF THE RETERINNG OFFICER
M.P. WAQF BOARD, BHOPAL

Ref. No. : Board Election/2023/003 **Bhopal, Date : 20-03-2023**

म.प्र. वक्फ बोर्ड की संरचना में निर्वाचकगण (Electoral Colleges) की विभिन्न श्रेणियों का चुनाव

एतद द्वारा यहा सूचित किया जाता है कि वक्फ अधिनियम 1995 संशोधित 2013 एवं ''मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड (सदस्यों का निर्वाचन) नियम 1996'' के प्रावधानों के अनुसार तथा माननीय मुख्य न्यायाधीश, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की बैंच द्वारा याचिका क्रमांक WP 19677 / 2022 में पारित निर्णय दिनांक 01–02–2023 तथा WA 360 / 2021 में पारित निर्णय दिनांक 01–02–2023 के परिपालन में निम्नलिखित वर्ग के निर्वाचकगण (Electoral College) की सूची का निर्धारण एवं प्रकाशन पश्चात निर्वाचकगण (Electoral College) से एक सदस्य का निर्वाचन म.प्र. वक्फ बोर्ड के सदस्य के रूप में किये जाने हेतु निम्नानुसार निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किया जाता है।

निर्वाचन का वर्ग–वक्फ अधिनियम 1995 संशोधित 2013 की धारा 14(1)(ख)(iv)

कार्यक्रम

1.)	वक्फ अधिनियम 1995 संधोधित 2013 की धारा 18, 3(i)(j), 44, 46 एवं 72 का पूर्ण परिपालन करते हुए मुतवल्लियों की सूची का प्रकाशन।	प्रकाशन दिनांक 24 मार्च 2023
2.)	उपरोक्तानुसार सूची के प्रकाशन दिनांक से दावे आपत्तियों प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक।	दिनांक 29 मार्च 2023
3.)	वक्फ अधिनियम की धारा 18, 3(i)(j), 44, 46 एवं 72 का पालन करते हुए वर्ग–(iv) के निर्वाचकगण (Electoral College) की अंतिम सूची का प्रकाशन।	दिनांक 1 अप्रैल 2023
4.)	उपरोक्तानुसार वर्ग–(iv) के निर्वाचकगण (Electoral College) की अंतिम सूची के आधार पर म.प्र. वक्फ बोर्ड की संरचना के लिए एक मुस्लिम सदस्य का निर्वाचन।	दिनांक 5 अपैल 2023
5.)	निर्वाचन स्थल।	मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी, हज हाउस, एयरपोर्ट रोड, भोपाल।
6.)	नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का समय।	दिनांक 5 अप्रैल 2023 11.00 बजे से 12.00 पूर्वान्ह तक
7.)	नाम निर्देशन पत्र की जांच।	दिनांक 5 अप्रैल 2023 पूर्वान्ह 12.10 बजे से 1.00 बजे तक
8.)	नाम निर्देशन पत्र वापस लेना।	दिनांक 5 अप्रैल 2023 अपरान्ह 2.00 बजे तक

निरन्तर...............2

9.)	मतदान का समय।	दिनांक 5 अप्रैल 2023 अपरान्ह 3.00 बजे से 4.00 बजे तक
10.)	मतों की गणना।	दिनांक 5 अप्रैल 2023 अपरान्ह 4.00 बजे से
11.)	निर्वाचन परिणाम।	दिनांक 5 अप्रैल 2023 मतगणना उपरान्त

मतदान दिवस **बुधवार** दिनांक **5 अप्रैल 2023** को निर्वाचकगण (Electoral College) की अंतिम सूची अनुसार समस्त निर्वाचकगण उपरोक्त वर्णित निर्वाचन स्थल पर सुबह 10.00 बजे उपस्थित हों जिससे कि निर्वाचकगण (Electoral College) को निर्वाचन की प्रक्रिया समझाई जा सके तथा अभ्यार्थी के नाम निर्देशन हेतु निर्धारित प्रपत्र उपलब्ध कराए जा सके।

निर्वाचन स्थल पर प्रवेश के समय निर्वाचकगण को अपना अधिकारिक मूल पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। निर्वाचन परिसर में निर्वाचकगण के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति का प्रवेश निषेध होगा।

समस्त संबंधित उपरोक्तानुसार सूचित हों।

(डॉ. आई.के. मंसूरी)

रिटर्निंग ऑफिसर

Endo No. : Board Election/2023/004 **Dated : 20-03-2023**

प्रतिलिपि :–1.) अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर शासन के पत्र क्रमांक एफ–4–4/2013/54–2,भोपाल,दिनांक 26–09–2022, क्रमांक एफ–4–4/2013/54–2, भोपाल, दिनांक 13–03–2023 एवं पत्र क्रमांक एफ–4–4/2013/54–2, भोपाल, दिनांक 15–03–2023. के संदर्भ में सादर सूचनार्थ।

2.) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल की ओर बोर्ड के पत्र क्रमांक 56–4/बोर्ड शाखा/2023/7117–18, भोपाल दिनांक 09–03–2023 के संदर्भ में उपरोक्तानुसार निर्धारित समय सारणी अनुसार समस्त आवश्यक कार्यवाहियां, पूर्ण एवं सुनिश्चित करने हेतु।

रिटर्निंग ऑफिसर